

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट

श्री नमन मीणा  
निवासी 70, अम्बिका कॉलोनी  
तरतोली रोड आबूरोड  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 48 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जे इस हुक्म की तामिल में जारी हु
27.04.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक आवेदन दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री प्रदीप कुमार मीणा से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं सम्बन्धित प्रकरण की सम्पूर्ण जांच फाईल, रिपोर्ट एवं पत्राचार की प्रतियां तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति एवं आदेश की प्रतियों से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक आवेदन दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री प्रदीप कुमार मीणा से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति एवं सम्बन्धित प्रकरण की सम्पूर्ण जांच फाईल, रिपोर्ट एवं पत्राचार की प्रतियां तथा जांच अधिकारी की नियुक्ति एवं आदेश की प्रतियों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकर्ड/2026/26 दिनांक 13.01.2026 के द्वारा अपीलांत को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोंडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (रोहितश्व सिंह तोमर) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	